

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या :-388/2022

1. शिशपाल पुत्र दर्शनसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

--- वादी

बनाम

1. सुखमन्दरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरजीतसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 30.08.2024

वादी की ओर से श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुखवीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.08.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क.) वादी शिशपाल को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 236/199(56) किलानम्बर 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.0250 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 5/3/0.0720 हैक्टर नहरी, 5/4/0.0080 गैर मुमकिन रास्ता कुल 0.300 हैक्टर नहरी, 0.033 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, चक नम्बर 3 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 235/198(54) किला नम्बर 10/0.253 हैक्टर नहरी, 11/0.253 हैक्टर नहरी, 20/0.231 हैक्टर नहरी कुल 0.737 हैक्टर नहरी आराजी।

चक नम्बर 2 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 221/204(21) किला नम्बर 3/1/0.169 हैक्टर नहरी, 3/2/0.0190 गैर मुमकिन रास्ता, 8/0.253 हैक्टर नहरी, 13/0.253 हैक्टर नहरी, 18/0.253 हैक्टर नहरी, 23/0.253 हैक्टर नहरी, 24/0.253 हैक्टर नहरी कुल 1.434 हैक्टर नहरी व 0.0190 गैर मुमकिन रास्ता, इस प्रकार तीनों चकों की कुल 2.471 हैक्टर नहरी व 0.052 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की आराजी।

प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्दरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 236/199(56) किला नम्बर 8/0.198 हैक्टर नहरी दक्षिणी हिस्सा, चक नम्बर 3 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 235/198(54) किला नम्बर 20/0.022 हैक्टर नहरी दक्षिणी हिस्सा (पूर्व से 20 फुट चौड़ाई छोड़कर), 21/0.253 हैक्टर नहरी, 22/0.253 हैक्टर नहरी, 23/0.253 हैक्टर नहरी कुल 0.781 हैक्टर मय गैर मुमकिन। चक नम्बर 3 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 220/195(15) किला नम्बर 12, 13, 19, 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर नहरी, तीनों चकों की कुल 2.497 हैक्टर मुमकिन।

(ग.) प्रतिवादी संख्या 2 सरजीतसिंह का हिस्सा :- चक नम्बर 1 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 236/199(56) किला नम्बर 2/1/0.2280 हैक्टर नहरी, 2/2/0.0250 गैर मुमकिन

रास्ता, 3/1/0.2280 हैक्टर नहरी, 3/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 8/0.055 हैक्टर नहरी उतरी हिस्सा, 9/0.253 हैक्टर नहरी कुल 0.814 हैक्टर मय गैर मुमकिन। चक नम्बर 3 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 235/198(54)किला नम्बर 12, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टर

चक नम्बर 3 एस.वी.एन के पत्थर नम्बर 218/196(13)किला नम्बर 18/1/0.244 हैक्टर, 19/0.253 हैक्टर, 20/1/0.0090 हैक्टर, 21/2/0.0090 हैक्टर, 22/1/0.240 हैक्टर नहरी, 22/2/0.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 23/1/0.231 हैक्टर नहरी, 23/2/0.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल 1.012 हैक्टर आराजी मय गैर मुमकिन तीनों चकों की कुल 2.585 हैक्टर मय गैर मुमकिन

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकरीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 2 एस.वी.एन. के खाता संख्या 169/151 में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कर नाम कलमजन, चक नम्बर 3 एस.वी.एन. के खाता संख्या 185/167 में से वादी शिशपाल का नाम कलमजन व चक नम्बर 3 एस.वी.एन. के खाता संख्या 230/53 में से वादी शिशपाल व प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्दर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

चक नम्बर 1 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 236/199(56)किला नम्बर 3/1/0.228 हैक्टर व किला नम्बर 8 के पूर्वी हिस्सा में एक-एक विश्वा रास्ता उतर से दक्षिण व चक नम्बर 3 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 235/198(54)किला नम्बर 23 के पूर्वी हिस्सा में एक विश्वा रास्ता दक्षिण से उतर व किला नम्बर 18,19 प्रत्येक के दक्षिणी हिस्सा में एक-एक विश्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30.08.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)
उपरखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---